फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती प्रेम वनाम बाबूलाल

किस्म मुकदमा ....वाद.... नं0....55.... सन 2018

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-6-18	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 27-6-18 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
27-6-18	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.6.18 को पेश हो। [signature] रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
28-6-18	वादीया ऐव प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से पत्रावली सीगह से तलब कर राजीनामा तस्दीक कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर पत्रावली को सिगह से तलब की गई तथा वादिया ऐव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को रेकार्ड पर लिया गया पत्रावली व राजीनामे का तथा पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विभाजन आराजियात का है वादिया ऐव प्रतिवादीगण को आराजियात का हक हिस्से व मौके पर कब्जेनुसार विभाजन करने पर कोई आपत्ति नही है। वादिया ऐव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा ऐव राजीनामे के साथ संलग्न नजरी नक्शेनुसार विभाजन करने हेतु वादिया ऐव प्रतिवादीगण सहमत है। मैने पत्रावली ऐव पत्रावली के साथ संलग्न [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की ... में जारी

दस्तावेज तथा राजीनामा एवं राजीनामे के साथ संलग्न नजरी नक्शे का अवलोकन किया अवलोकन से जाहिर आया कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार श्रीमती टेकु पत्नी हजारी राव का निधन हो चुका है तथा उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 1 व 2 पूर्व मे ही सह खातेदार के रूप मे दर्ज राजस्व रेकार्ड है। इसी प्रकार खातेदार धनराज पिता मानसिंह राव का भी निधन हो चुका है तथा उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 3 व 4 है वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से एवं वाद पत्र विभाजन आराजियात का होने से राजीनामे के अनुसार वाद पत्र निर्णित किये जाने योग्य है।

अत: आदेश दिया जाता है कि ग्राम धुंवाला (माण्डल) पटवार हल्का धुवाला (मांडल) तहसील-माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित खाता सं. 249 मे आराजी नं. 403 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, आराजी सं. 404 रकबा 16 बिस्वा, आराजी सं. 405 रकबा 01 बिस्वा, आराजी सं. 406 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, आराजी सं. 407 रकबा 07 बिस्वा, आराजी सं. 408 रकबा 04 बिस्वा, आराजी सं. 409 रकबा 09 बिस्वा, आराजी नं. 410 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 08 कुल रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा के राजस्व रेकार्ड मे से श्रीमती टेकु बेवा हजारी का नाम विलोपित किया जाकर एवं धनराज पिता मानसिंहराव के बजाय प्रतिवादी सं. 3 व 4 का नाम विरासत से दर्ज कर राजीनामे के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वादिया का 1/3 हक हिस्सा आराजी सं. 403, 404, 410 के उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/3 हक हिस्सा संयुक्त रूप से आराजी सं. 406, 407, 408, 409 व 410 की दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 का 1/3 हक हिस्सा संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रूप से वादिया एव प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 के हक हिस्से के मध्य मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर विभाजन कर संलग्न नक्शेनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही वादिया एव प्रतिवादीगण के हक हिस्से मे आयी आराजियात मे आने जाने हेतु आराजी संख्या 406, व 404 के उतरी पश्चिमी मेड पर रास्ता शामलाती रहेगा एव आराजी सं- 405 गै.मु॰ चाह भी शामलाती रखने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार तहसीलदार मांडल राजस्व रेकार्ड मे अंकन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	